M.P. TRADE AND INVESTMENT FACILITATION CORPORATION LTD.
(Government of Madhya Pradesh Undertaking)
TRIFAC

क्रमांक / 28(1) / एम.पी.ट्रायफेक / स्था–सेवा नियम 17 / 2018 / 4464 भोपाल दिनांक 21.08.2018

/ /आदेश/ /

मध्यप्रदेश ट्रायफेक हेतु प्रबंधक पद की सीधी भर्ती के लिए एम.पी. आनॅलाईन भोपाल के पत्र क्रमांक एम. पी.ओ / बी.डी. / 9203 चयन दिनांक 14.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराई गई चयन सूची अनुसार निम्नांकित चयनित अभ्यर्थियों को वेतनमान पे–बैण्ड–3 रु0 15600–39100 ग्रेड पे 5400 (छठवें वेतनमान) में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर प्रबंधक पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख दर्शाऐ गये स्थान पर अस्थाई रुप से आगामी आदेश तक के लिए एतद्द्वारा पदस्थ किया जाता है :–

सं. क्र.	आवेदक का आवेदन क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान पता	श्रेणी	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	FC0118001379	श्री अरुण कुमार पटेल	C/O हिंछलाल पटेल, विनय हार्डवेयर स्टोर, काशी मार्केट, विकास भवन के सामने, सीधी–486661	अनारक्षित	म.प्र ट्रायफेक मुख्यालय, भोपाल
2	FC0118007237	श्री विनय प्रताप सिंह तोमर	A–19 / 27 महानंदा नगर, उज्जैन–456001	अनारक्षित	म.प्र ट्रायफेक मुख्यालय, भोपाल
3	FC0118005219	श्री पियूष राय	प्लाट न 84 श्री पी.के राय, C/O श्री सुंदरलाल रायकवार, ओल्ड जगदम्बा कालोनी, जानकी नगर रोड, जबलपुर –482001	अनारक्षित	म.प्र ट्रायफेक मुख्यालय, भोपाल
4	FC0118005798	श्री राहुल शर्मा	82–A,शारदा विहार, ग्वालियर– 474002	अनारक्षित	म.प्र ट्रायफेक मुख्यालय, भोपाल
5	FC0118005596	श्री आदर्श जैन	आदर्श सिनेमा,एस.बी.आई. के सामने, शिवपुरी रोड, करेरा,शिवपुरी–473660	अनारक्षित	म.प्र ट्रायफेक मुख्यालय,भोपाल
6	FC0118004643	श्री रोहित अग्रवाल	शारदा मेडिकल स्टोर, संतर नं. 1, सबलगढ़, मुरैना–476229	अनारक्षित	म.प्र औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल
7	FC0118005119	श्री आनंद टेम्भरे	64 आशीष नगर, इंदौर–452016	अन्य पिछड़ा वर्ग	म.प्र औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल
8	FC0118006777	रानी शर्मा	C–7 डी.आर.पी. सेंट्रल जेल के सामने, ग्वालियर –474012 4, हरीहर नगर, सागरताल रोड, ग्वालियर	अनारक्षित	म.प्र औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इंदौर
9	FC0118005998	साक्षी मंडलोई	144, गायत्री नगर, जेतापुर, खरगौन–451001	अनारक्षित	आई.आई.डी.सी. ग्वालियर
10	FC0118004825	कुमारी सपना	प्लाटॅ नं. 468 / 469, शिवनगर फेस –3, भानपुर रोड, भोपाल–462037	अन्य पिछड़ा वर्ग	म.प्र औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इंदौर
11	FC0118007714	श्री सुभाशीष अहिरवाल	न्यू एल.आई.सी. ऑफिस के सामने, सिविल वार्ड नं. 6, सुभाष कालोनी,दमोह–470661	अनुसूचित जाति	म.प्र औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, जबलपुर
12	FC0118005271	पूजा भिमटे	हाऊस नं. 17, वार्ड नं 2, मुरझड़ फार्म, पोस्ट नेवारगांव, वारासिवनीं बालाघाट–481331	अनुसूचित जाति	म.प्र औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, उज्जैन

13	FC0118004498	श्री धर्मेश कुमार उईके	हीरा नगर कालोनी, कटरा रोड, बिझिया,मंडला–481661	अनुसूचित जन जाति	आंई.आई.डी.सी. ग्वालियर
14	FC0118003002	श्री अमन कुमार	म.नं. 50, सिकन्दर कम्पू, ग्वालियर–474001	अनुसूचित जाति	म.प्र औद्योगिक केन्द्र विकास निगम,रीवा
15	FC0118007372	ऐश्वर्या ठाकुर	नेहरु मार्केट, आखीपुरा करही, खरगौन–451220	अनुसूचित जन जाति	म.प्र औद्योगिक केन्द्र विकास निगम,भोपाल
16	FC0118003259	निकिता भगत	114, ऋषि ईस्ट सीटी, ऋषिपुरम फेस–1 बरखेडा पठानी, भोपाल–462022	अनुसूचित जन जाति	म.प्र औद्योगिक केन्द्र विकास निगम,जबलपुर

2. उपरोक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश ट्रायफेक सेवा नियम 2017 एवं राज्य शासन के सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम–1961,म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 एवं अन्य लागू नियमों के अन्तर्गत शासित होगी।
3. नियुक्त अधिकारी की वरिष्ठता का निर्धारण एम.पी.आनॅलाईन द्वारा उपलब्ध कराई गई चयन सूची की वरीयता अनुसार रहेगा।
4. यह आदेश चयनित अभ्यर्थी द्वारा पुलिस द्वारा किए जाने वाले चरित्र सत्यापन के संबंध में दिये गये शपथ पत्र में दी गई जानकारी के अधीन रहेगा एवं चरित्र सत्यापन के पुलिस प्रतिवेदन में यदि निगम सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाऐगी।
5. नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने के पश्चात दिनांक 07.सितम्बर 2018 तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है अन्यथा समयावधि पश्चात नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जाऐगा।
6. शासकीय/अर्द्व शासकीय/विभागों/निकायों में कार्यरत अभ्यर्थियों को कर्त्तव्य पर उपस्थिति के पूर्व अपने पूर्व नियुक्तिकर्ता अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. यह नियुक्ति आदेश उसी स्थिति में प्रभावशील होगा यदि सम्बंधित अभ्यर्थी शारीरिक दृष्टि से योग्य होने का जिला मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करेगा।
8. संबंधित अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करते समय संबंधित कार्यालय में अपने मूल दस्तावेज आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि की मूल प्रति के साथ सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी। इसकी जांच उपरांत पदस्थापना कार्यालय के संबंधित अधिकारी मूल दस्तावेज अभ्यर्थी को वापस लौटाएंगे एवं इसमें किसी प्रकार की कोई संदेहास्पद स्थिति निर्मित होती है तो उसकी सूचना सम्बंधित अधिकारी द्वारा यथाशीघ्र प्रबन्ध संचालक एम.पी.ट्रायफेक को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी रहेगी।
9. इस आदेश से नियुक्त अधिकारी कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारुप में चरित्र सत्यापन हेतु शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण स्थल के कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगा।
10. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम–1994 (क्रमांक 21 सन 1994) के उपबंधों का अधिनियम के उपबंधो के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उक्त अधिनियम की धारा–6 की उप धारा (1) उपबंधो का पूर्ण संज्ञान लिया गया है।

(विवेक पोरवाल)
प्रबन्ध संचालक

M.P. TRADE AND INVESTMENT
FACILITATION CORPORATION LTD.
(Government of Madhya Pradesh Undertaking)
TRIFAC

पृ.क्र /28(1)/एम.पी.ट्रायफेक/ /2018/4465-4484 भोपाल, दिनांक21/08/2018

प्रतिलिपिः–

1. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री मध्यप्रदेश शासन उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
3. कार्यकारी संचालक म.प्र. औ.के.वि.नि भोपाल/इन्दौर/उज्जैन/सागर/जबलपुर/रीवा/आई.आई.डी.सी ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर अपेक्षित है कि कृपया चरित्र सत्यापन संबंधी शपथ पत्र की मूल प्रति एवं जिला मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा शैक्षिणक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों का मूल प्रमाण पत्र से मिलान करते हुए प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित कराएँ।
4. महाप्रबन्धक प्रशासन एम.पी.ट्रायफेक,भोपाल को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित कर अपेक्षित है कि कृपया पृष्ठांकन क्रमांक 3 में वर्णित निर्देश अनुरुप ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित कराएँ तथा आदेश प्रति निगम वेबसाईट में प्रदर्शित कराएँ।
5. श्री/कुमारी/श्रीमती...की ओर प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि आदेश जारी होने के पश्चात दिनांक 07 सितम्बर 2018 तक निर्धारित कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है अन्यथा समयावधि के पश्चात नियुक्ति आदेश सम्बधित अधिकारी के परिप्रेक्ष्य में स्वयमेव समाप्त माना जावेगा।

संलग्न :–चरित्र सत्यापन शपथ पत्र प्रारुप।

21/8/18

कार्यकारी संचालक–प्रशासन

INVEST Madhya Pradesh
India's Growth Centre
SECRETARIAT FOR SINGLE WINDOW SYSTEM
CIN : U51102MP1977SGC001392
"CEDMAP BHAWAN" 16-A, Arera Hills, Bhopal-462011 (India)
Tel.: (91) 755-2559978, 2575773 Fax : (91) 755-2559973 E-mail : facilitation@mptrifac.org

(म.प्र ट्रायफेक में प्रबन्धक पद पर नियुक्ति)

शपथ पत्र

मैं ....आयु..............पुत्र/पुत्री/पत्नी....................................निवासी ....
..............शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ–

फोटो

1. यह कि मेरा चयन प्रबन्धक मध्यप्रदेश ट्रायफेक के पद पर हुआ है।
2. यह कि मेरा चरित्र उत्तम है।
3. यह कि मुझे आज दिनांक तक कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है।
4. यह कि मुझ पर आज दिनांक तक किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है।
5. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहाराया गया हैं और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है।
6. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वार्जित नही किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है।
7. यह कि मैने भरती प्रक्रिया में जो भी जानकारियाँ दी हैं एवं जो अभिलेख प्रस्तुत किऐ हैं, वे पूर्णतः सही एवं सत्य है।
8. यह कि यदि मेरे द्वारा जो जानकारियाँ दी गई हैं और जो अभिलेख प्रस्तुत किये गए है,यदि उनमें कोई भी जानकारी/अभिलेख असत्य पाऐ जाते है, तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरुद्व असत्य शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो कि मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा।
9. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया गया मेरा नियुक्ति आदेश, चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल प्राप्त होने पर मुझे यदि शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।

शपथगृहीता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथगृहीता ....सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ–पत्र कंडिका क्रमांक 1 से 9 तक में दी गई समस्त जानकारियाँ मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही हैं, जिनका सत्यापन आज दिनांक.........................को...............................मेरे द्वारा किया गया है।

शपथगृहीता